हिल्टन ने भारत में 150 स्पार्क बाय हिल्टन होटल्स शुरू करने के लिए ओलिव बाय एंबेसी के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए

ओलिव बाय एंबेसी के साथ यह साझेदारी एशिया प्रशांत में ब्रांड की शुरुआत और दक्षिण एशिया में हिल्टन के विस्तार में तेजी लाएगी

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

पणजी, 19 नवम्बर (का.सं.)। प्रमुख ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनी, हिल्टन (**NYSE: HLT**) ने आज ओलिव बाय एंबेसी के साथ स्ट्रेटेजिक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट (एसएलए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत में 150 स्पार्क बाय हिल्टन होटल्स शुरू किए जाएंगे। यह एग्रीमेंट एशिया प्रशांत में ब्रांड की शुरुआत को दर्शाता है। यह पहल हिल्टन और एंबेसी ग्रुप के लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का परिणाम है। एंबेसी ग्रुप हिल्टन बेंगलुरु एंबेसी मन्यता बिजनेस पार्क और हिल्टन गार्डन इन बेंगलुरु एंबेसी मन्यता बिजनेस पार्क का मालिक है।

स्टूडेंट वीजा पर भारत आया विदेशी, चोरी करते गिरफ्तार

जयपुर, 19 नवम्बर (का.सं.)। जयपुर पुलिस ने एक विदेशी चोर को अरेस्ट किया है। चोर घर में घुसकर तीन कारों की चाबी और एक कार चोरी कर ले गया था। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने **CCTV** फुटेज के आधार पर विदेशी चोर को अरेस्ट किया। सुडान का रहने वाला आरोपी स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया है।

DCP (ईस्ट) तेजस्वनी गौतम ने बताया- घर में घुसकर चोरी के मामले में आरोपी इब्राहिम नस्र एल्डन यागोब इमान (24) निवासी एबीए द्वीप ओमडुरमन खार्तूम सेक्टर 21 सूडान को अरेस्ट किया है। वह स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था। पिछले काफी समय से रामनगरिया इलाके की जेडीए कॉलोनी में किराए से रह रहा था।

CCTV फुटेज में कैद हुई करतूत

17 नवम्बर को दुर्गापुरा निवासी जोया अग्रवाल ने घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनके घर में घुसकर बदमाश तीन कारों की चाबी और एक कार चोरी कर ले गया। घर में लगे **CCTV** फुटेज चेक करने पर 16 नवम्बर की सुबह करीब 4 बजे एक चोर कैप व मास्क लगाकर अंदर घुसता दिखाई दिया। करीब आधे घंटे घर के अंदर घुमने के दौरान चाकलेट आदि चीजे खाई। उसके बाद कार की तीन चाबियां चोरी कर ले गया। चुराई चाबी से घर के पॉर्च में खड़ी एक कार को चोरी कर ले गया।

आमागढ़ कच्ची बस्ती के निवासियों ने की न्याय की मांग

अनैतिक गतिविधियों के जरिए परिवारों को बेघर करने का किया जा रहा प्रयास

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 19 नवम्बर (का.सं.)। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर मुख्य चौराहे के पास आमागढ़ वैधपुरी सहायता संघर्ष समिति के बैनर तले विगत लगभग दो माह से धरने पर बैठे आमागढ कच्ची बस्ती के निवासियों ने मंगलवार 19 नवम्बर को मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा बयां करते हुए सरकार व प्रशासन से न्याय की मांग की है। सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यहां के लगभग 7500 वर्गगज में विगत लगभग 40 वर्षों से काबिज बाशिंदों ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक करते हुए पत्रकारों को बताया कि दुर्भावना से अनैतिक गतिविधियों के जरिए कुल 40 परिवारों के 200 लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो रखा है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि रामगोपाल गोयल नाम के एक व्यक्ति ने बिना नक्शा के पट्टे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वन विभाग की जमीन पर अनेक बैंको से कर्जा लिया था। जबकि बैंकों ने बिना किसी उचित प्रमाणीकरण के लगभग 25 करोड का लोन जो कि ब्याज सहित दुगुना हो गया है, उसे दे दिया था। वहीं लोन नहीं चुका पाने के बदले में रामगोपाल और उनके परिवार के सदस्य जेल भी जाने का दिखावा कर चुके हैं। अब जब बैंक अधिकारियों में अपनी गलत नियत से जारी किए गए लोन की रिकवरी के लिए नोटिस जारी करके यहां रह रहे लोगों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। इस संबंध में पीड़ित बाशिंदों ने जाँच पडताल की तो वसूली अधिकरण ने एडवोकेट कृष्णवर्धन सिंह को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया हुआ हैं

जबकि पीड़ित लोगों का कहना है कि कृष्णवर्धन सिंह ने कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व से पश्चिम 150 गज और उत्तर से दक्षिण 50 गज की कार्यवाही की जगह उत्तर से दक्षिण 150 गज और पूर्व से पश्चिम 50 गज की भूमि के टुकडे पर कार्यवाही की दोष पट्टी दिखा रखी है। जबकि बैंक लोन पूर्व से पश्चिम 150 गज और उत्तर से दक्षिण 50 गज की भूमि पर दिया गया था। इस तरह निर्दोष पीड़ितों को बेवजह परेशान कर प्रताडित किया जा रहा है। इस सम्बंध में पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से मिलकर दस्तावेज दिए और जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में भी दस्तावेज सौप चुके हैं। जबकि इस मामले की जांच पटवारी से करवाई गई तो इस जाँच में वैधपुरी आमागढ कच्ची बस्ती की भूमि वन विभाग के अधीन बताई गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वन विभाग की जमीन पर बैंक गलत तरीकों से लोन जारी नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि रेवेन्यू रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई जाँच में यह तथ्य उजागर हुआ कि मूल रूप से पूर्व से पश्चिम 150 गज और उत्तर से दक्षिण 50 गज (कुल 7500 वर्गगज) की यह भूमि गुलाब खान पुत्र मोहम्मद बक्श के नाम दर्ज है। इसकी जाँच के आधार पर सीबीआई ने जाँच में रामगोपाल द्वारा बैंक में लोन के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों को फर्जी और नकली बताते हुए इनके पूरे परिवार को (जिनके नाम अनेकों गिफ्ट डीड बनाई गई थी) जेल भेज दिया गया था। जबकि कुछ वर्षों पहले रामगोपाल गोयल और उनके पुत्र की भी मौत हो चुकी है। अब बैंक अधिकारी अपनी नौकरी बचाने और जेल जाने से बचने के लिए गलत तरीके से दिए गए लोन की रिकवरी करने के लिए आमागढ वैधपुरी के बाशिंदों को यहां से खदेड़कर इस बेशकीमती जमीन को नीलम करके दिए गए लोन की भरपाई करना चाहती है।

जयपुर की आम्रपाली ने रचा इतिहास

12 वीं बार मिलेगा सर्वाधिक निर्यात का पुरस्कार

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 19 नवम्बर (का.सं.)। की प्रसिद्ध आभूषण निर्माता आम्रपाली एक्सपोर्ट्स को देश में फैशन ज्वेलरी के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कौंसिल द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

आम्रपाली के फाउंडर राजीव अरोड़ा व राजेश अजमेरा ने बताया की हमारी ज्वेलरी जयपुर की बेहतरीन कारीगरी और अनूठे डिज़ाइन के कारण विश्व प्रसिद्ध है जिसके प्रशंसकों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों क्लिंटन ,बराक ओबामा और डॉनलैड ट्रम्प के परिवार ,इंग्लैंड की पूर्व महारानी एलेजाबेथ ,किंग चार्ल्स और डचेस ऑफ़ कैम्ब्रिज ,एंजेलिना जोली ,हैली बैरी ,दीपिका पादुकोण ,सोनम और किरण खेर जैसे सेलिब्रिटी शामिल हैं ।

ट्रॉय ,बाहुबली ,मणिकर्णिका और रामलीला जैसी बड़ी मूवीज़ की ज्वेलरी के निर्माता आम्रपाली को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पूर्व में भी कई बार सम्मानित किया गया है ।राजीव अरोड़ा के अनुसार ज्वेलरी निर्यात से जहां हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है और देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है ।यह सम्मान समारोह आगामी 30 नवंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा ,प्रसिद्ध उद्योगपति श्री गौतम अड़ानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ।

आम्रपाली के क्रिएटिव डायरेक्टर तरंग अरोड़ा के अनुसार यह अवार्ड हमारे कारीगरों और डिज़ाइनर टीम को समर्पित है ,यह गौरव का विषय है कि फैशन और कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के क्षेत्र में बारहवीं बार सर्वाधिक निर्यात का पुरस्कार मिलना एक रिकॉर्ड है और जयपुर के जवाहरात उद्योग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है ।

दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश, सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट का झटका

शिमला/नई दिल्ली, 19 नवंबर (वेब वार्ता)। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश 64 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर दिया। दरअसल, हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया जिसके लिए उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी करते हुए कम्पनी को हिमाचल भवन की नीलामी के बाद अपना बकाया वसूलने की सुविधा दी है।

मामले के अनुसार सैली हाइड्रो पावर कंपनी नाम की कंपनी का सरकार पर 64 करोड़ रुपया अपफ्रंट प्रीमियम बकाया है जिसका भुगतान नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। ये राशि प्रदेश सरकार के पास लाहौल स्पीति स्थित बिजली प्रोजेक्ट के संचालन को लेकर सैली हाइड्रो पावर कंपनी द्वारा अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर जमा कराई गई थी। बाद में ये प्रोजेक्ट कंपनी ने सरकार को वापस दे दिया क्योंकि कंपनी का आरोप है कि सरकार ने प्रोजेक्ट के संचालन के लिए ज़रूरी सुविधाएँ नहीं दी। ऐसे में अपफ्रंट प्रीमियम की राशि सरकार की तरफ से कंपनी को नहीं लौटायी गई, जिसके बाद कंपनी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुँच गई।

अब हाई कोर्ट ने कंपनी के हित में फैसला देते हुए हिमाचल प्रदेश की दिल्ली स्थित संपत्ति हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 64 करोड़ रुपया पर ब्याज की राशि का भी भुगतान करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वे यह तथ्यात्मक जांच करें कि किस अधिकारी या अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह राशि अभी तक जमा नहीं की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दोषी अधिकारियों से इस ब्याज की राशि व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा।

खरगे, राहुल, प्रियंका ने इंदिरा गांधी को जयंती पर किया नमन

नई दिल्ली, 19 नवंबर (वेब वार्ता)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर आज उनकी समाधि शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पांजलि अर्पित की।

बाद ने श्री खरगे ने इंदिरा गांधी के एक उद्धरण के साथ उन्हें याद करते हुए कहा हमने विश्वास किया है और हम अब भी विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता अविभाज्य है कि शांति अविभाज्य है, कि आर्थिक समृद्धि अविभाज्य है।

उन्होंने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते हुए कहा करोड़ों भारतीय भारत की लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। इंदिरा गांधी आजीवन संघर्ष, साहस और गतिशील नेतृत्व की प्रतीक थीं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी जयंती पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

दीपावली पत्रकार मिलन समारोह हुआ सम्पन्न

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

उज्जैन/खाचरोद , 19 नवम्बर (मुरलीदास बैरागी)। बड़ावदा में प्रेस क्लब बड़ावदा द्वारा दीपावली पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें नगर सहित आसपास अंचल के पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आलोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ चिंतामणि मालवीय रहे विशेष अतिथि आंचलिक पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश टॉक भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र हिंगड़ जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमराज हाडा कल्याण गुरु व्यायाम शाला के गणपत मालीवाड़ विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र काकणी, विधायक प्रतिनिधि कन्हैयालाल धाकड़ सरपंच प्रतिनिधि दशरथ गुर्जर रहे कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती पूजन विधायक चिंतामणि मालवी द्वारा किया गया तत्पश्चा स्वागत की बेला शुरू हुई उपस्थित अतिथियों द्वारा अपना उद्बोधन दिया विधायक चिंतामणि मालवीय द्वारा अपने उद्बोधन में पत्रकारों के लिए शब्द कहे वही कार्यक्रम का संचालन पत्रकार रविराज कुमावत द्वारा किया गया कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की घोषणा प्रेस क्लब के संस्थापक मनोज जोशी द्वारा की गई नवीन कार्यकारिणी में प्रेस क्लब अध्यक्ष के रूप में प्रवीण व्यास को नियुक्त किया गया उपाध्यक्ष नीरज राठौर कोषाध्यक्ष चेतन जायसवाल सचिव रविराज कुमावत सह सचिव दिनेश पौराणिक मनोनीत हुए विधायक चिंतामणि मालवीय एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा नव नियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी को पुष्पमाला पहनकर बधाइयां प्रेषित की कार्यक्रम में पधारे पत्रकारों का प्रेस क्लब बड़ावदा द्वारा आभार व्यक्त किया उपस्थित पत्रकारो के साथ महीला पत्रकार भी रहे व आभार दिनेश पौराणिक द्वारा व्यक्त किया।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 11 और 12 जनवरी को दिल्ली में होगा

नई दिल्ली, 19 नवंबर (वेब वार्ता)। खेल मंत्रालय युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। भारत मंडपम में अगले साल 11 और 12 जनवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है।

मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक संदेश में कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 11 और 12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह 15 से 29 साल आयु वर्ग के युवाओं के लिए अपने विचारों को सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में काम करेगा, जो उन्हें देश के भविष्य को आकार देने और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगा।

चुनाव की घोषणा के बाद 'अपने यूपी' में पांच दिन में सीएम योगी ने की 13 रैली, दो रोड शो

लखनऊ, 19 नवंबर (वेब वार्ता)। चुनाव की घोषणा के बाद 'अपने यूपी' में पांच दिन में 13 रैली, दो रोड शो कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की जमीन सींची। 'पहले विकास, फिर संवाद' के फॉर्मूले को तय कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव में भी जी-तोड़ मेहनत की। 'मिशन-9' के तहत गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मझवां, फूलपुर की जीत बरकरार रखने के साथ अन्य सीटों पर कमल खिलाने के लिए उन्होंने कार्तिक व मार्गशीर्ष (अगहन मास) में भी खूब पसीना बहाया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके निशाने पर रहे तो अखिलेश यादव की नीति व नीयत पर भी सीएम योगी ने निशाना साधते हुए उन्हें आईना दिखाया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की रैलियों में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व अन्य रैलियों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही माफिया भी सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रहे। उन्होंने मतदाताओं से साफ-साफ कहा कि 'माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश' की भांति अन्य राज्यों में भी माफिया हटाने में सरकार का साथ दें। माफिया हटाना है और विकास के लिए फिर कमल खिलाना है। सीएम योगी की यह अपील काफी कारगर साबित हो रही है। यूपी में माफिया की दुर्गति देख मतदाता उनके आह्वान के साथ उपचुनाव और आम चुनाव में फिर कमल खिलाने के लिए जुट गए हैं।

गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मझवा और फूलपुर से भाजपा-सहयोगी दलों के विधायकों के सांसद बनने के बाद यह सीटें रिक्त हो गईं। उपचुनाव में भाजपा ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य व फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया है। मीरापुर सीट से रालोद के मिथिलेश पाल मैदान में हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए मतदाताओं का आह्वान किया तो वहीं यूपी की अन्य सीटों कटेहरी, करहल, कुंदरकी व सीसामऊ में भी कमल खिलाने के लिए काफी पसीना बहाया।

भीलवाड़ा में अजमेर चौराहा से हटाया अस्थायी कब्जा

भीलवाड़ा, 19 नवम्बर (का.सं.)। भीलवाड़ा में नगर निगम, यूआईटी और जिला परिषद की टीमों ने मंगलवार को अतिक्रमण अभियान हटाने की शुरुआत की। अजमेर चौराहे से यूआईटी तक अतिक्रमण हटाए गए। विभाग के दस्ते ने ठेले, थडियां व अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए।

इसके साथ ही लोगों को अपनी अपनी दुकानों के बाहर फैला रहे अतिक्रमण को निर्धारित सीमा के भीतर करने की हिदायत दी। इस दौरान नगर निगम यूआईटी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा साथ ही होमगार्ड का जाप्ता और ट्रैफिक पुलिस भी साथ-साथ चली। अजमेर चौराहे से यूआईटी तक अतिक्रमण हटाए गए। विभाग के दस्ते ने ठेले, थडियां व अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए।

अजमेर चौराहे से यूआईटी तक अतिक्रमण हटाए गए। विभाग के दस्ते ने ठेले, थडियां व अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए।

नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि आज नगर निगम, यूआईटी और पुलिस के सहयोग से शहर में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत के आज पहले दिन अजमेर पुलिया से अजमेर रोड सुखाड़िया

सर्कल होते हुए आरजिया तक अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गये। अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने के बाद इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी।

ग़ैर आवासीय योग आधारित प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चूरू, 19 नवम्बर (का.सं.)। राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर के आदेशानुसार स्थानीय श्री राजकीय पूर्णानंद वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में तीन दिवसीय ग़ैर आवासीय योग आधारित प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोहपूर्वक हुआ। शिविर में दक्ष प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद सैनी व राजबाला ने उपस्थित संभागियों को वज्रासन, पवन मुक्तासन, ताड़ासन, मकरासन, कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम-प्रतिलोम, हलासन, मण्डुकासन, सूर्य नमस्कार सहित दर्जनों योगो और प्राणायामो की जानकारी देते हुवे अभ्यास करवाया। माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुवे समापन कार्यक्रम में मुख्यातिथि आचार्य जनार्दन वेदांत शिरोमणी, विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार शर्मा, भागीरथ मील, विनोद कुमार

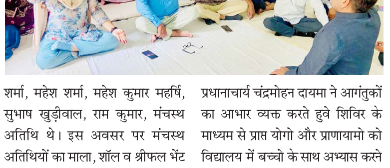

शर्मा, महेश शर्मा, महेश कुमार महर्षि, सुभाष खुड़ीवाल, राम कुमार, मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों का माला, शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यातिथि आचार्य शिरोमणी ने कहा कि योग दु:ख निवारण का सरल एवं सर्वश्रेष्ठ मार्ग है व जीवन जीने की कला है, जिसकी आदि काल से लेकर वर्तमान तक दु:ख निवारण के लिए अतिमहत्वपूर्ण मार्ग है। प्रधानाचार्य चंद्रमोहन दायमा ने आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुवे शिविर के माध्यम से प्राप्त योगो और प्राणायामो को विद्यालय में बच्चो के साथ अभ्यास करने का आव्हान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापिका राजेश्वरी देवी, सरोज शर्मा ने विद्यालय को 5-5 कुर्सियां भेंट की। कार्यक्रम संचालन सुरेश कुमार वर्मा ने किया।

प्रिंसिपल ने 18 छात्राओं के बाल काटे, सस्पेंड

अमरावती, 19 नवम्बर (वेब वार्ता)। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने देरी से आने पर 18 छात्राओं के बाल काट दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रिंसिपल ने नाराज होकर सजा के तौर पर बाल काट हैं। धूप में खड़ा करके पिटाई की। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। आगे की जांच की जा रही है।

जांच में आरोप सही पाए गए समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बी. श्रीनिवास राव ने बताया कि यह घटना अल्लूरी सीतारामराजू जिले के जी मदुगुला में आवासीय स्कूल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में 15 नवंबर को हुई थी, लेकिन सोमवार को सामने आई। इसके बाद डिपार्टमेंट ने आरोपी प्रिंसिपल यू साई प्रसन्ना के खिलाफ जांच की थी।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
equitas Equitas Small Finance Bank
पंजीकृत कार्यालयः 4थी मंजिल, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, 769, माउंट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002
दूरभाषः 044-4299 5000 फैक्सः 044-4299 5050
वेबसाइटः www.equitasbank.com

स्वर्ण आभूषण नीलामी सूचना

यह सूचना दी जाती है कि हमारे पास गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषण, जिनका उल्लिखित शाखाओं के निम्नलिखित ऋण खाता संख्याओं वाले उधारकर्ताओं द्वारा बार-बार सूचना देने के बावजूद भुनाया नहीं गया है, उन्हें नीचे दिए गए स्थान और समय पर नीलामी में बेचा जाएगाः

तिथिः **27.11.2024** समयः प्रातः **10.00** बजे
सेनीलामी का स्थानः इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

स्थान	शाखा का नाम	ऋण संख्या
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	BHILWPJ2405210001

नोटः 1. ग्राहक जो बकाया राशि का भुगतान करके आभूषण वापस लेने में रुचि रखते हैं, वे नीलामी शुरू होने से पहले संबंधित शाखाओं में ऐसा कर सकते हैं। 2. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना पहचान पत्र/पैन कार्ड नंबर/जीएसटी नंबर (यदि पंजीकृत फर्म/कंपनी हो) प्रस्तुत करना होगा।

स्थानः भीलवाड़ा
दिनांकः नवंबर 20, 2024
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की ओर सेअधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए - अचल संपत्ति/ओं की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना

रजि. कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फ़ोनः- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबः- www.pnbhousing.com
बी.ओ. जयपुरः एसबी 59, यूडीबी टावर्स, पहली मंजिल, जयपुर नगर निगम के सामने, टोंक रोड, जयपुर 302015

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित के पास गिरवी/चार्ज की गई है। लेनदार, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्ज़ा मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर-सी में वर्णित है), नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जैसा है जहां है, जैसा है जो है और जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा।
इसके द्वारा संबंधित के उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) को नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ताओं/बंधककर्ता (ओं) (मृतकों) को आज की तारीख में संशोधित सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम -8 (6) और 9 के तहत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम ब्रैंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
HOU/JPR/1116/333194, **भंवर सिंह परमार, उगल कंवर बी.ओ.: जयपुर**	**रु. 314361/-** (तीन लाख चौदह हजार तीन सौ इकसठ रुपये मात्र) 26.10.2021 को देय	भौतिक कब्ज़ा	फ्लैट नंबर एएफ/एसएफ/7(ईडब्ल्यूएस), जेपी-18: मैजेस्टिक रियल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, (अफोर्डेबल हाउसिंग), जोन-11, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान, भारत, 302006	रु. 2,69,000.00	रु. 26,900.00	09-12-24	रु. 10,000	25-11- 2024, 10. प्रातः 00 बजे से सायं 5.30 बजे तक	10-12-2024, 2:00 अपराह्न से 3:00 अपराह्न	ज्ञात नहीं

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।**
(1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है।
(2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।
(3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा।
(4.) **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में अधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 वेबसाइट -www.Bankeauctions.com पर है। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, आपको रवि कुमार के साथ टोल फ्रीः 1800 120 8800 पर समन्वय करना होगा। ई-मेलःauction@pnbhousing.com, पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।**
स्थानः- जयपुर दिनांकः- 20.11.2024 एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना
पंजीकृत कार्यालय : 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
भिवाड़ी शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ए-10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बायपास, भिवाड़ी-301019, राजस्थान

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(S) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10:) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/BHI/1217/461475, बी.ओ.: भिवाड़ी, राजेश कुमार/सुनीता	**14.12.2023 तक रु. 943980.01**	भौतिक कब्जा	टॉवर मैरीगोल्ड, जीएफ, 005, ओमेक्स पैनोरमा सिटी होम्स-मैरीगोल्ड टॉवर, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान-301019, भारत माप 420 वर्ग फीट	रु. 660000	रु. 66000	**09.12.2024**	रु. 10000	25.11.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30	10.12.2024 अप.2.00 बजे से अप. 3.00	**Not Known**
HOU/UDA/1221/939636, बी.ओ.: उदयपुर, श्रीमती नीरूबेन पटेलिया/ईश्वर सिंह	**07.03.2024 तक रु. 1291279.87**	भौतिक कब्जा	मकान नंबर 93, आराजी नंबर 15130/4605, राजस्व ग्राम उमर्दा, ग्राम पंचायत कानपुर, गिरवा, उदयपुर, राजस्थान- 325989	रु. 1072000	रु. 107200	**09.12.2024**	रु. 10000	25.11.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30	10.12.2024 अप.2.00 बजे से अप. 3.00	**Not Known**

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। 1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती है तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(से) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती है। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (बयाना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा 4. सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कॉर्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **रवि कुमार, अश्वनी कुमार शर्मा, संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें
स्थानः भिवाड़ी, उदयपुर, दिनांकः 20-11-2024 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08